न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/31/2018	10–05–2018	30–10–2019

1– श्रीनारायण पुत्र गंगाबक्स,

2– राधेश्याम पुत्र गंगाबक्स, जातियान ब्राहमण निवासी ग्राम बालेटा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

3– किशनप्यारी पुत्री गंगाबक्स पत्नी मांगेलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चांदोली तह0 व जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1– तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–असल रेस्पाडेन्ट

2– मोहनप्यारी पुत्री गंगाबक्स पत्नी ज्वाला प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चूलीगेट, 2 नं. स्कूल, गंगापुरसिटी, राज0।

3– महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा

4– ललता पुत्री जगदीश प्रसाद शर्मा

5– पिंकी उर्फ़ सरोज पुत्री जगदीश प्रसाद शर्मा जातियान ब्राह्मण निवासीयान चौथ माता के मंदिर के पास, बांदीकुई जिला दौसा राज0।

–तरतीबी रैस्पोडेंट्स

अपील बिरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेड़ा का निर्णय दिनांक 10.01.2018 एवं आदेश दि0 22.08.2014

उपस्थितः–

01. श्री निर्मल जैन –वकील अपीलान्ट

02. श्री मुकेश कुमार शर्मा –तरतीबी रैस्पोडेंट्स

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 10.01.2018 जिसके द्वारा दिनांक 26.08.2014 को रिव्यू प्रा0पत्र पेश कर आदेश दिनांक 22.08.2014 को संशोधित कराने बाबत पेश किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रिव्यू प्रा0पत्र अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। इसलिए प्रा.पत्र पेश करने दिनांक 26.08.2014 से दिनांक 10.01.2018 के समय को कन्डोन करने हेतु पृथक से प्रा0पत्र पेश किया गया है। अपील का सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि मूली बेवा गंगाबक्स के दो पुत्र श्रीनारायण, राधेश्याम एवं तीन पुत्रीयां श्रीमति किशनप्यारी, मोहनप्यारी व चमेली देवी थी। श्रीमति चमेली देवी का निधन काफी समय पूर्व दि0 24.12.2003 को हो गया। आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2014 को मूली का इंतकाल –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

सं. 1785 अपीलांट सं. 1, 2 व 3 तथा तरतीबी रैस्पो0 सं0 2 मोहनप्यारी एवं चमेली देवी व शांतिदेवी के पक्ष में स्वीकार हो गया। मूली बेवा गंगाबक्स के शांतिदेवी नाम की कोई पुत्री नहीं थी। इसलिए उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिए अपीलांट ने दिनांक 26.08.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रा0पत्र पेश किया कि आदेश दिनांक 22.08.2014 को संशोधित कर इंतकाल सं0 1785 से शांति देवी का नाम हटाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकत्रित किये गये साक्ष्यों से भी साबित होता है कि शांति नाम की कोई पुत्री मृतक मूली के नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल में दर्ज शांति पुत्र गंगाबक्स की सुनवाई नहीं होने के आधार पर आज्ञा दिनांक 22.08.2014 को संशोधन का कोई आधार नहीं मानकर प्रा0पत्र अपीलांट दिनांक 26.08.2014 निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड पर कोई गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.08.2014 व दि0 10.01.2018 पूर्णतया अवैध है। क्योंकि चमेली देवी का निधन दिनांक 24.12.2003 को हो गया था एवं मृतक व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अपीलांट का रिव्यू प्रा.पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार पर खारिज किया है। शांति नामक कोई लडकी नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान के अलावा शांति के पक्ष में जो विरासत इंतकाल दर्ज किया है वह विधि विरूद्ध है। दिनांक 22.08.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि शांति मूली की कोई पुत्री है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल सं. 1785 स्वीकृत कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.08.2014 एवं दिनांक 10.01.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट व तरतीबी रैस्पो0 के पक्ष में विरासत का इंतकाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से सरपंच ग्राम पंचायत के वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 24.02.2014, 23.04.2015 तथा मेजरनामा दि0 29.06.2015 से स्पष्ट है कि मृतक मूली के शांति नाम की कोई पुत्री नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शांति को जारी किये गये नोटिस पर की रिपोर्ट में शांति पुत्री गंगाबक्स नाम की कोई पुत्री होना नहीं बताया है। उज्रदारी नोटिस अखबार स्याह से भी शांति पुत्री गंगाबक्स न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि मूली के कोई शांति नाम की कोई पुत्री नहीं थी। पत्रावली में उपलब्ध चमेली पुत्री गंगाबक्स के मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चमेली की मृत्यु के बाद चमेली के नाम भी इंतकाल दर्ज किया है, जो विधि विरूद्ध है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मूली बेवा गंगाबक्स के विधिक वारिसान की जांच कर विधि के सुस्थापित सिद्धांत एवं प्रकियानुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 30–10–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)